

Washim District Police

Nature of Work

:- 31 मे, जागतिक तंबाखूविरोधी दिन

Police Station

:- Washim Police

Date of Good Work done

:- 02/06/2022

Brief of the work done :-

31 मे, जागतिक तंबाखूविरोधी दिनाच्या औचित्यावर जिल्ह्यात कोटपा कायद्यांन्वये 199 कारवाया करण्यात आल्या तर वर्षभरात एकूण 454 कारवायांमध्ये 90 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड वसूल केला आहे.

जिले में विश्व तंबाकू दिन पर कोटपा कानून के तहत 199 कार्रवाई

जिला प्रतिनिधि |वाशिम

जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह की ओर से विश्व तंबाकू दिन पर जिले के सभी पुलिस स्टेशनों को कोटपा कानून के तहत प्रभावशाली कार्रवाई करने के निर्देश दिए

जिले के 13 पुलिस स्टेशनों में अबतक 454 कार्रवाई •

वाशिम जिले के कुल 13 पुलिस स्टेशन की ओर से कोटपा कानून का विशेष अभियान चलाकर जिले में कोटा कानून अंतर्गत 199 कार्रवाई कर 39,800 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस अधीक्षक वाशिम ने जिले में अवैध धंधों पर लगातार कार्रवाई कर लगाम करती है। समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर सिणेट व अन्य तंबाकूजन्य पदार्थ कोटपा कानून अंतर्गत जिले में अबतक कुल 454 कार्रवाई कर 90,800 का जुर्माना भी वसूल किया गया है। पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में वाशिम पुलिस स्टेशनों के विशेष दस्तों ने सहभाग लेकर आरोग्य विभाग के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है। इसके बाद भी इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देना जारी रखा जाएगा।

गए थे। इसी के तहत जिले के 13 पुलिस स्टेशनों की ओरसे विशेष मुहिम चलाकर जिलेभर में कोटपा कानून के तहत 199 कार्रवाईयां करते हुए 39 हजार 800 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। सिणेट और अन्य तंबाकूजन्य पदार्थ व्यापार व वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति, वितरण निषेध अधिनियम, २००३ कोटपा कानून की महाराष्ट्र शासन के निर्देशों के अनुसार शाला कॉलेज के छात्रों को नशे की लत न लगे, इस हेतु शिक्षा संस्थाओं के १०० मीटर के परिसर में तंबाकूजन्य पदार्थ की प्रतिनियम पालन न करने वाले पान पट्टी, दुकानों पर वाशिम पुलिस दल की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने ३१ मई को अंतरराष्ट्रीय तंबाकू दिन के अवसर पर संपूर्ण जिले में विशेष मुहिम के निर्देश देकर इस मुहिम के अंतर्गत जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में विशेष दल निर्माण कर कोटपा कानून के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

